



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062024-254663
CG-DL-E-12062024-254663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2140]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2140]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2242(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'केरल सहकारी जमा गारंटी कोष बोर्ड' (पैन: AANFK3180E), केरल सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) केरल सरकार से प्राप्त अंशदान

(ख) केरल सहकारी जमा गारंटी योजना के पैराग्राफ 2(ट) में परिभाषित सोसाइटी (सोसाइटियों) से प्राप्त अंशदान

(ग) बैंक जमा पर ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि केरल सहकारी जमा गारंटी कोष बोर्ड –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए क्रमशः प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 51/2024 फा. सं. 300196/43/2018-आईटीए-1]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024

S.O. 2242(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Kerala Co-operative Deposit Guarantee Fund Board' (PAN: AANFK3180E), a Board constituted by the Govt. of Kerala, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:

- a) Contribution received from the Government of Kerala
- b) Contribution received from society(ies) as defined in paragraph 2(k) of the Kerala Co-operative Deposit Guarantee Scheme.
- c) Interest on bank deposits

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Kerala Co-operative Deposit Guarantee Fund Board-

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year(s); and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 and 2023-24 relevant for the financial years 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-23 respectively.

[Notification No. 51/2024 F. No. 300196/43/2018-ITA-I]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.